न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 19/2020
GCMS NO. : 2020/00034

–: वादीया :– बनाम –: प्रतिवादी :–

1. पानकी पत्नी विशनाराम जाति–जाट निवासी–रामावास खुर्द तहसील जैतारण जिला पाली।

1. तहसीलदार, जैतारण जिला पाली।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.12/03/2020

उपस्थित:– 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता वादी।
2. तहसीलदार जैतारण।

–:: निर्णय ::– दिनॉक:– 21/02/2022

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि वादीया के पति की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी की भूमि राजस्व मौजा रामावास खुर्द पटवार हल्का रामावास कलां तहसील जैतारण जिला–पाली में स्थित खसरा नम्बर 147 रकबा 69 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 159 रकबा 27 बीघा 13 बिस्वा व खसरा नम्बर 160 रकबा 16 बिस्वा कुल खसरा नम्बर 3 कुल रकबा 98 बीघा 4 बिस्वा की भूमि आई हुई है। जिसमें वादीया के पति 1/3 का 1/5 पर काबिज खातेदार काश्तकार थे। उपरोक्त वर्णित खसरान नम्बरान की भूमि वादीया के पति की पुश्तैनी कब्जा सुदा हक सुदा थी। पूर्व में उक्त भूमि वादीया के ससुर घेवरराम पुत्र प्रभुराम की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की थी। घेवरराम जी का देहान्त होने पर जरिये नामान्तरणकरण संख्या 81 के उक्त भूमि वादीया के पति के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई। उस दौरान तत्कालीन हल्का पटवारी ने वादीया के पति का सही नाम विशनाराम की बजाय राजस्व रेकर्ड में बचना दर्ज कर दिया। तत्पश्चात इसी माफिक चौसाला जमाबन्दी में अंकन कर दिया। वादीया के पति की दिनांक 19/10/2017 को मृत्यु हो चुकी है जिसके मृत्यु प्रमाण–पत्र संख्या 27/2017 है। वादीया के पति के पहचान से सम्बन्धित सम्पूर्ण दस्तावेजात राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, चुनाव परिचय–पत्र सभी में वादीया के पति का नाम विशनाराम वल्द घेवरराम दर्ज है। जबकि विवादित [illegible] के राजस्व रेकर्ड में बचना वल्द घेवर के नाम का अंकन होने से वादीया [illegible] भारी परेशानियां उठानी पड रही

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:48:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

है। वादीया बैंक से अपना साख पत्र नहीं बनवा पा रही है न ही अन्य आवश्यक मिलने वाली सुविधायें ले पा रही है। वादीया के पति के नाम की इस प्रकार की गलत प्रविष्टि को दुरूस्त करने हेतु प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण व उनके अधिनस्थ हल्का पटवारी को निवेदन किया लेकिन उन्होनें दिनांक 25/02/2020 को इस प्रकार की दुरूस्ती करने से इन्कार करते हुए न्यायालय में कार्यबाही करने की हिदायत दी है। इस प्रकार से वादीया के पति की इस विवादित खसरान नम्बरान की भूमि में वादीया के पति का सही नाम विशनाराम वल्द घेवरराम के नाम का अंकन पूर्व में दर्ज गलत नाम बचना वल्द घेवर के स्थान पर वादीया दर्ज करवाने तथा ऐसी घोषणा करवाने एवं रेकर्ड दुरूस्ती करवाने की वादीया अधिकारी होने से यह वाद–पत्र बाबत् घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती का बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादी के सादर प्रस्तुत है। धारा 80(2) का प्रार्थना–पत्र पृथक से पेश है। बिनाय वाद दिनांक 25/02/2020 को प्रतिवादी द्वारा वादीया के पति के नाम की दुरूस्ती करने से इन्कार करने पर बमुकाम रामावास खुर्द तहसील जैतारण जिला पाली में पैदा हुआ। जो अन्दर म्याद व अदालत श्रीमान् के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार में वाद–पत्र प्रस्तुत है।

इस पर वादीया का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये नोटिस के तलब किये गये। प्रतिवादी ने जवाब दावा प्रस्तुत किया, जो सा.मि. है। प्रतिवादी ने अपने जवाब दावा में कथन किया कि ग्राम रामावास खुर्द के खसरा नम्बर 147, 159, 160 में वादीया के पति का नाम राजस्व रेकर्ड में सहखातेदार के रूप में दर्ज होना सही है। वादीया के पति का नाम जरिये नामा0 सं0 81 के विरासत से बचना दर्ज किया जाना सही है। वादीया के सभी सरकारी दस्तावेजों में पति का नाम विशनाराम दर्ज है तथा वादीया के पति की मृत्यु हो चुकी है, यह सही है। वाद–पत्र के बिन्दू संख्या 4 से 7 माननीय न्यायालय से सम्बन्धित है। वादीया के पति का नाम राजस्व रेकर्ड में बचना दर्ज है जबकि सही नाम विशनाराम है।

वकील वादीया ने वाद के समर्थन में साक्ष्य के शपथ पत्र पेश किया, दस्तावेजात् प्रदर्श करवाये गये जो सा0मि0 है। बहस उभयपक्ष राजस्व वाद बाबत घोषणा अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई।

पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। बहस उभयपक्ष पर गौर कर मनन किया। ग्राम रामावास खुर्द की जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के खसरा नम्बर 147 रकबा 69 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 159 रकबा 27 बीघा 13 बिस्वा व खसरा नम्बर 160 रकबा 16 बिस्वा में बचना पुत्र घेवर [illegible] सह–खातेदार दर्ज है। जमाबन्दी संवत् 2031–34 (प्रदर्श–1) में अंकित [illegible] के नोट के अवलोकन से

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:48:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

यह स्पष्ट है कि बचना पुत्र घेवर का वादग्रस्त आराजी में नाम जरिये फौतेदगी नामांतरण के दर्ज हुआ। वादीया के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में साक्ष्य शपथ पत्र P/W 01 एवं गवाह व मृतक विशना राम के भाई सह–खातेदार कानाराम पुत्र घेवरराम का शपथ पत्र P/W 02 पेश किया। वादीया पानकी के साक्ष्य शपथ–पत्र एवं गवाह कानाराम के साक्ष्य शपथ–पत्र अनुसार वादिया के पति का सही एवं वास्तविक नाम विशनाराम पुत्र घेवरराम है ना कि बचना पुत्र घेवर। वादीया के पति के अन्य समस्त दस्तावेज विशनाराम के नाम से है तथा भू–अभिलेख में फौतेदगी नामांतकरण से बचना नाम दर्ज हो गया है। प्रदर्श दस्तावेज प्रदर्श–4 (विशना राम का आधार कार्ड), प्रदर्श–5 (वादीया का राशन कार्ड), प्रदर्श–6 (जन–आधार कार्ड), प्रदर्श–7 (वादीया का आधार–कार्ड), प्रदर्श–8 (वादीया के पति विशना राम का मृत्यु प्रमाण पत्र) के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीया के पति का नाम विशना राम है। प्रतिवादी तहसीलदार द्वारा जवाबदावा में यह कथन किया है कि ग्राम रामावास खुर्द के खसरा नम्बर 147 रकबा 69 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 159 रकबा 27 बीघा 13 बिस्वा व खसरा नम्बर 160 रकबा 16 बिस्वा जो जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 में वादीया के पति का नाम सह–खातेदार के रूप में दर्ज है एवं वादीया के पति का नाम जरिये नामा.सं. 81 के विरासत से बचना दर्ज किया गया। वादीया के पति की मृत्यु हो चुकी है एवं वादीया के पति का नाम राजस्व रेकर्ड में बचना दर्ज है जबकि सही नाम विशना राम पुत्र घेवरराम है। इस प्रकार तहसीलदार जैतारण के जवाबदावा एवं वादी एवं गवाह के शपथ–पत्र एवं प्रदर्श दस्तावेजात् के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त सामलाती आराजी में वादीया के पति का सही एवं वास्तविक नाम विशना राम पुत्र घेवरराम है न कि बचना पुत्र घेवर। भू–अभिलेख में दर्ज बचना वस्तुतः एक लिपिकिय एवं स्थानीय भाषागत उच्चारण से संबंधित दोष से जनित त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि है। अतः वाद वादीया स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित एवं विधि संगत समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादीया अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा रामांवास खुर्द पटवार हल्का रामावास कलां भू.अभि.नि. क्षेत्र बैडकलां तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान में खसरा नम्बर 147 रकबा 69 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 159 रकबा 27 बीघा 13 बिस्वा व खसरा नम्बर 160 रकबा 16 बिस्वा में बतौर खातेदार दर्ज वादीया के पति विशना राम के नाम की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि "***बचनाराम पुत्र घेवरराम***" को विलोपित करते हुये उसके स्थान पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:48:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

सही एवं वास्तविक प्रविष्टि ***"विशना राम पुत्र घेवरराम"*** दर्ज करते हुये विशना राम पुत्र घेवरराम को वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। चुंकि विशना राम पुत्र घेवरराम फौत हो चुका है अतः तहसीलदार जैतारण को निर्देश दिये जाते है कि विशना राम के वास्तविक विधिक उत्तराधिकारियों की जॉच कर नियमानुसार नामांतरण की कार्यवाही करें। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कद्र निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–पाली (राज०)

निर्णय आज दिनॉक 21/02/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–पाली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:48:33 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 21 रूल्स 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत:– सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकाम:– जैतारण
बईजलास :– श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0

–: वादीया :– बनाम –: प्रतिवादी :–

1. पानकी पत्नी विशनाराम जाति–जाट निवासी–रामावास खुर्द तहसील जैतारण जिला पाली।

1. तहसीलदार, जैतारण जिला पाली।

मु0न0 :रा0वा0 स0: 19/2020

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीया मिनजानिब मुद्दई व श्री तहसीलदार जैतारण, प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादीया अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा रामांवास खुर्द पटवार हल्का रामावास कलां भू.अभि.नि. क्षेत्र बैडकलां तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान में खसरा नम्बर 147 रकबा 69 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 159 रकबा 27 बीघा 13 बिस्वा व खसरा नम्बर 160 रकबा 16 बिस्वा में बतौर खातेदार दर्ज वादीया के पति विशना राम के नाम की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि ''***बचनाराम पुत्र घेवरराम***'' को विलोपित करते हुये उसके स्थान पर सही एवं वास्तविक प्रविष्टि ***''विशना राम पुत्र घेवरराम''*** दर्ज करते हुये विशना राम पुत्र घेवरराम को वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। चुंकि विशना राम पुत्र घेवरराम फौत हो चुका है अतः तहसीलदार जैतारण को निर्देश दिये जाते है कि विशना राम के वास्तविक विधिक उत्तराधिकारियों की जॉच कर नियमानुसार नामांतरण की कार्यवाही करें। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ़्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **21/02/2022** को जारी किया गया।

मोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:48:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–पाली (राज0)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वकालतनामा	1.00	स्टाम्प अर्जी	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	0.00	महनताना वकील	0.00
महनताना वकील	0.00	खर्चा गवाहान	0.00
खर्चा गवाहान	2.00	फीस कमीश्नर	0.00
फीस कमीश्नर	0.00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	मुत्फरिक	0.00
मिजानः–	09.00	मिजानः–	0.00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:48:33 IST
Reason: SelfAttested